न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, RAS

पत्रावली संख्या : **23/19 (विविध)**

प्रकरण दर्ज दिनांक 11.04.2019 **निर्णय दिनांक 16.09.2019**

अनवान्

1. श्री रामलाल पिता किशोर भाट निवासी वासनीमाफी तह. मावली।
2. श्री गणेश लाल पिता किशोर भाट निवासी वासनीमाफी तह. मावली।
3. मु. सुन्दर बेवा किशोर भाट निवासी वासनीमाफी तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षी

उपस्थित–1. श्री खेमराज डांगी , अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक 16.09.2019

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वासनी माफी पटवार हल्का फतहनगर में आराजी नम्बर 622 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता व प्रार्थी सं. 3 के पति किशोर के नाम दर्ज हैं। नकल साथ संलग्न हैं। उक्त वर्णित आराजीयात हम प्रार्थीगणों की पैतृक कृषि भूमि है और हम प्रार्थीगण जाति से भाट है तथा हम प्रार्थीगणों की मौजा लदाना, पटवार हल्का वासनी कलां में स्थित आराजी नम्बर 244, 398 किता 2 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित हैं। जो प्रार्थीगणों के पिता/पति किशोर जी की मृत्यु होने पर विरासत से किशोर जी के वारिसान के नाम दर्ज हुई जिसमें भी हम प्रार्थीगणों की जाति भाट लिखी हुई है व प्रार्थी सं. 2 के जाति प्रमाण पत्र उप खण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया जिसमें भी प्रार्थी सं. 2 की जाति भाट ही दर्ज है तथा प्रार्थीगणों के राशनकार्ड, आधार कार्ड व प्रार्थीगणों के पिता/पति किशोर की मृत्यु होने पर उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें भी जाति भाट ही अंकित है तथा हम प्रार्थीगणों की जाति भाट ही है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगणों के पिता/पति किशोर पिता हरीया ढोली अंकित कर दी है जो गलत है क्योंकि हम प्रार्थीगणों के जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व हम प्रार्थीगणों के अन्य गांव में स्थित आराजीयात में भी हम

प्रार्थीगणों की जाति भाट अंकित है। इस तरह प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगणों के पिता/पति की जाति ढोली के बजाय भाट अंकित करवाया जाना आवश्यक हैं।

2. प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगणों के पिता/पति किशोर जी की जाति ढोली अंकित होने से किशोर जी की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण भी नहीं खुल पाया है जबकि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां में स्थित आराजीयात में प्रार्थीगणों के पिता/पति की जाति भाट सही अंकित होने से प्रार्थीगणों के पिता/पति की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरण खुल कर स्वीकृत हो गया हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में भी प्रार्थीगणों के पिता/पति की जाति ढोली की बजाय भाट दुरूस्त करा विरासत का नामान्तरण खुलवाया जाना आवश्यक हैं।
3. उक्त वर्णित आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थीगणों के पिता/पति की जाति का अंकन गलत दर्ज कर देने से हम प्रार्थीगण इसे दुरस्त करा इन्द्राज दुरस्ती कराने के अधिकार है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं। उक्त वर्णित सम्पति हम प्रार्थीगणों की पैतृक है जिसमें हम प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं।
4. हम प्रार्थीगण को उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन की जानकारी प्रार्थीगणों के पिता/पति के विरासत का नामान्तरण खुलवाने गये तो जानकारी हुई व जानकारी होते ही दिनांक 25.03.2019 को खाते की नकल प्राप्त की और जानकारी होते ही दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हम प्रार्थीगणों के पिता/पति की जाति ढोली के बजाय भाट का अंकन कराये जाने का आदेश बक्षाया जावें। ताईद में शपथ पत्र पेश हैं।
5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राजपेरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर किसी प्रकार कोई उजर ऐतराज जाहिर नहीं किया।
6. हमने प्रकरण में अधिवक्ता वादी एवं राजपेरोकार की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार कोई खण्डन नहीं किया।
7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज के अध्ययन से प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपनी जाति ढोली के बजाय भाट अंकित कराना चाह रहा हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में किशोर का मृत्यु प्रमाण पत्र, ग्राम लदाना की जमाबन्दी, रामलाल का आधार कार्ड, रामलाल का राशन कार्ड, गणेशलाल का आधार कार्ड, गणेशलाल का अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, गणेशलाल का राशन कार्ड एवं श्रीमती हेमलता जैन, पार्षद वार्ड नम्बर 11

नगरपालिका फतहनगर सनवाड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थीगणों की जाति भाट होना जाहिर आया हैं। वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगणों को अपनी भूमि के विकास हेतु ऋण लेने आदि कार्य हेतु दुविधा उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए उक्त संशोधन कराना चाहते हैं। प्रार्थी की अन्य आराजीयात ग्राम लदाना में स्थित है जिसमें खातेदार किशोर पिता हरिराम भाट दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों मे प्रार्थी के पिता का नाम किशोर भाट होना जाहिर आया हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में सेहवन से भाट के बजाय ढोली अंकित हो गया हैं। स्थाई पार्षद द्वारा भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर किशोर पिता हरिया ढोली व किशोर पिता हरिराम भाट एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। वर्णित तथ्यों के अवलोकन से प्रार्थी की जाति भाट होना स्पष्ट जाहिर हैं, जो अन्य नकल जमाबन्दी में भी भाट ही अंकित हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में सेहवन से ढोली अंकित हो गया हैं जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम का स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि मौजा वासनीमाफी पटवार हल्का फतहनगर की आराजी नम्बर 622 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा में खातेदार किशोर पिता हरिया ढोली के बजाय किशोर पिता हरिराम भाट संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली